

न्यायालय तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी-श्री गिराज प्रसाद बंसल तहसीलदार बयाना)

प्रसंग 71/20 ता० रजु. 6-1-20 किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 4-2-2020

सरकार

बनाम

कमल-कमल-विश्व पुत्रा वीरु तह० बयाना जिला-भरतपुर।

धामड ब्रम्हवाड

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का ब्रम्हवाड ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि ग्राम ब्रम्हवाड के खसरा न० 399 रकबा ०-४९ हैक्ट में से रकबा ०-०८ हैक्ट किस्म भूमि धामडाह पर सम्वत २०१६ में श्री कमल-कमल-विश्व पुत्रा वीरु धामड तह० बयाना ने नेहू कर अतिक्रमण कर लिया है। ब्रम्हवाड

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो शामिल गिसिल है। अप्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर अपना जबाव पेश किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 399 रकबा ०-०८ हैक्ट वाके ग्राम ब्रम्हवाड से बेदखल किया जाता है। लगान १-२४ का 50 गुणा पैनल्टी राशि ६५ रुपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी०आर०५० हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली एवं फसल नीलामी हेतु पटवारी हल्का एवं भू-अभिलेख निरीक्षक को आदेश जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 4-2-2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्री गिराज प्रसाद बंसल
तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)
दिनांक 4/2/20
16
64/

तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)

